

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-रुक्मिणी रियार सिहाग, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:-09/2023

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

अशोक कुमार उर्फ शोकी पुत्र जगदीश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 10 तलवाड़ा पुलिस थाना तलवाड़ा, जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपरिस्थित:-1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. गैरसायल स्वयं।



निर्णय

दिनांक:-01.11.2023

इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल अशोक कुमार उर्फ शोकी पुत्र जगदीश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 10 तलवाड़ा पुलिस थाना तलवाड़ा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो गरीब तबके के लोगों को लालच देकर उनका शोषण करता है व अवैध तरीके से स्कूलों के आगे छोटे-छोटे बच्चों को बिड़ी, सिगरेट व धुम्रपान आदि नशीली वस्तुएं बेचता है व पर्ची सट्टा की खाईवाली कर गरीब व भोलेभाले लोगों को झुठा लालच देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाता है जिस कारण ऐसे व्यक्ति अन्य आपराधिक कार्य करने में मजबूर हो जाते हैं। गैरसायल के खिलाफ थाना हाजा पर काफी प्रकरण पंजीबद्ध है। गैरसायल खुलेआम समाज में अपराधों को बढ़ावा देता है इसकी गतिविधियां सन्दिग्ध है। गैरसायल अशोक कुमार का सरेआम समाज में खुले में रहना खतरनाक है। पुलिस थाना, तलवाड़ा के रिकॉर्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न 20 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें 14 अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मु. सं. मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	10/19.01.2020	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 100 जुर्माना
2	59/24.09.2019	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा दिनांक 10.10.2019
3	15/28.01.2018	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 04.04.2018
4	145/21.11.2017	16/54 आबकारी अधि.	चालान	निर्णय 30.04.2018
5	119/28.09.2017	9/11 धुम्रपान निषेध अधि.	चालान	सजा 06.10.2017
6	22/06.02.2016	342, 389, 388, 120 बी आईपीसी	चालान	राजीनामा बरी 16.08.2018
7	04/08.06.2015	16/54 आबकारी अधि.	चालान	सजा
8	112/16.10.2014	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा दिनांक 08.12.2014
9	125/10.11.2014	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा दिनांक 08.12.2014
10	59/25.01.2019	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
11	181/21.12.2019	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 28.01.2020
12	80/21.05.2020	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
13	316/10.09.2010	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 03.03.2011
14	5/2010	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 03.03.2011
15	217/2010	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 03.03.2011

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

16	182/2010	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 21.06.2010
17	189/09.12.2020	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
18	36/04.03.2021	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चालान	जैर तजबीज कोर्ट
19	04/07.01.2016	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा
20	120/24.06.2022	8/21, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट	चालान	जैर तजबीज कोर्ट

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां के कारण आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल अशोक कुमार उर्फ शोकी पुत्र जगदीश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 10 तलवाड़ा पुलिस थाना तलवाड़ा, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल दिनांक 13.09.2023 को जरिये वकील श्री अलंकार सिंह उपस्थित हुआ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तागासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बंदर किया जावे।

गैरसायल आज दिनांक 01.11.2023 को स्वयं उपस्थित होकर इस्तागासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा द्वारा मेरे विरुद्ध यह इस्तागासा दायर किया गया है जिसमें वर्णित जुर्म धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट, 8/21 एनडीपीएस एक्ट, धारा 16/54 आबकारी अधि. व 09/11 धुम्रपान निषेध अधि. को स्वीकार करता हूँ। मुझे जो भी सजा दी जायेगी वो मुझे मंजूर है। मैं उक्त इस्तागासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। भविष्य में कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट, 8/21 एनडीपीएस एक्ट, धारा 16/54 आबकारी अधि. व 09/11 धुम्रपान निषेध अधि. के 14 मुकदमों में दोष सिद्ध होने व दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(III), 2ख(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वर्णित शर्तों का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरुद्ध 20 मुकदमों दर्ज हुए हैं। 14 मुकदमों में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी तलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत इस्तागासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 17.09.2021 को यह रपट दर्ज की गई है कि गैरसायल अशोक कुमार उर्फ शोकी जो थाना इलाका तलवाड़ा, जिला हनुमानगढ़ में नशा बेचने का धन्धा करता है सट्टा की खाईवाली करता है जिसके कारण गांव के लोग शिकायत नहीं करते हैं। इसका समाज में खुला घुमना दुश्कर है। इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है। इसकी गतिविधियां संदिग्ध है। जो नशा बेचने में सटीक है, का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं।

अतः गैरसायल अशोक कुमार उर्फ शोकी पुत्र जगदीश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 10 तलवाड़ा पुलिस थाना तलवाड़ा, जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 22 दिवस की अवधि तक जिले से बाहर चले जाने हेतु आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल दिनांक 02.11.2023 को सांय पांच बजे थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा को सूचित करते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस जिले के स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना, तलवाड़ा को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, तलवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 01.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रुकमणि रियार सिहाग) आई.ए.एस.
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official